कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज।

पत्रांक/ 7309-13 /2020–21 दिनांकः 19-10-2020

समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,
यू0पी0बोर्ड/सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई द्वारा संचालित विद्यालय
जनपद–प्रयागराज।

विषयः **"मिशन शक्ति" के अन्तर्गत महिला सशक्तीकरण के तहत विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा, छात्रों और अध्यापकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम एवं बाल मनोविज्ञान के सम्बन्ध में समक्ष विकसित करने हेतु दिनांक 20.10.2020 को कार्यक्रम आयोजित करने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक मण्डलायुक्त महोदय, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 16.10.2020 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपद में संचालित समस्त बोर्डों (यथा–यू0पी0बोर्ड, सी0बी0एस0ई, आई0सी0एस0ई0, संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड आदि) के माध्यमिक विद्यालयों में *"मिशन शक्ति"* के अन्तर्गत महिला सशक्तीकरण के तहत विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा, छात्रों और अध्यापकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम एवं बाल मनोविज्ञान के सम्बन्ध में समक्ष विकसित करने हेतु दिनांक 20.10.2020 को कार्यक्रम आयोजित किया जाना है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने विद्यालय में दिनांक 20.10.2020 को कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं छात्र–छात्राओं को महिला सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु शपथ दिलाते हुए शपथ ग्रहण समारोह की फोटोग्राफ्स यू0पी0बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय अपने तहसील सहायक को तथा सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय श्री धनन्जय कुमार सोनी (मो0नं0 –8299780509), वरिष्ठ सहायक, कार्या0जि0वि0नि0 प्रयागराज को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

19.10.2020
(आर0एन0 विश्वकर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
प्रयागराज।

पृ0सं0/ 7309-13 /2020–21 तद्‌दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मण्डलायुक्त महोदय, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
3. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ0प्र0 लखनऊ।
4. संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

19.10.2020
(आर0एन0 विश्वकर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
प्रयागराज।

महिला सुरक्षा शपथ
बालकों हेतु जिम्मेदारी शपथ

भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में
मैं शपथ लेता हूँ कि
सदैव बालिकाओं व महिलाओं का सम्मान करूँगा
और उनके अधिकारों की सुरक्षा करूँगा।
मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से
अपने कृत्यों, शब्दों और कार्यों से
किसी बालिका व महिला के अधिकारों एवं मर्यादा
का हनन नहीं होने दूंगा।
मैं शपथ लेता हूं कि
मैं बालिकाओं व महिलाओं को
उनके विकास के लिये
समान अवसर प्रदान करने में
अपना पूरा योगदान दूंगा।
जय हिन्द!

बालिका सुरक्षा शपथ
पिताओं हेतु जिम्मेदारी शपथ

भारत में जिम्मेदार नागरिक के रूप में
मैं शपथ लेता हूँ कि
मैं अपने बेटे और बेटी में
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगा।
मैं अपने बच्चों को बचपन से ही
जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊँगा और
उन्हें सही और गलत का भेद बताऊँगा।
जिस प्रकार मैं अपने बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहता हूँ
उसी प्रकार मैं अपने बेटे को अनुशासन में रखते हुये
उसकी भी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूँगा।
जय हिन्द!

बालिका सुरक्षा शपथ
माताओं हेतु जिम्मेदारी शपथ

भारत में जिम्मेदार नागरिक के रूप में
मैं शपथ लेती हूँ कि
मैं अपने बेटे और बेटी में
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगी।
मैं अपने बच्चों को बचपन से ही
जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊँगी और
उन्हें सही और गलत का भेद बताऊँगी।
जिस प्रकार मैं अपने बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहती हूँ
उसी प्रकार मैं अपने बेटे को अनुशासन में रखते हुये
उसकी भी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूँगी।
जय हिन्द!

कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज।

पत्रांक/ 7327-34 /2020-21 दिनांक: 19.10.2020

समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,
यू0पी0बोर्ड/सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई/संस्कृत बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय
जनपद-प्रयागराज।

विषयः आगामी नवरात्र की शुभ तिथियों में विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं की सहभागिता एवं सुरक्षा हेतु सभी बोर्डो के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित समस्त माध्यमिक विद्यालयों में "मिशन शक्ति" अभियान संचालित करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक/शिविर/21144-21263/2020-21 दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 (समस्त संलग्नकों सहित छायाप्रति संलग्न) के साथ संलग्न शासन के पत्र संख्या-271/15-3-2020 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा "मिशन शक्ति" अभियान के अन्तर्गत प्रथम चरण में दिनांक 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, 2020 तक प्रतिदिन व्यापक प्रचार-प्रसार एवं द्वितीय चरण में माह नवम्बर, 2020 से अप्रैल, 2021 तक अभियान जारी रखते हुए जनमानस को जागरूक करने के लिए एक-एक सप्ताह का विशेष अभियान प्रदेश के समस्त बोर्डो के समस्त माध्यमिक विद्यालय में संलग्न कार्ययोजना के अनुसार संचालित करायें जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरिवर्णित पत्र दिनांक 16.10.2020 के साथ संलग्न विभिन्न पत्रों में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उक्तवत् समस्त संलग्नकों सहित।

(आर0एन0 विश्वकर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
प्रयागराज।

पृ0सं0/ 7327-34 /2020-21 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. मण्डलायुक्त महोदय, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
4. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ0प्र0 लखनऊ।
5. अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ0प्र0, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
7. संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

(आर0एन0 विश्वकर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
प्रयागराज।

Scanned with CamScanner

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(मा0),
उ0प्र0,लखनऊ।

सेवा में,

संयुक्त शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उ0प्र0। उप शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उ0प्र0। जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांकः शिविर/21144-21263/2020-21 दिनांक 16 अक्टूबर, 2020

विषयः— आगामी नवरात्र की शुभ तिथियों में विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं की सहभागिता एवं सुरक्षा हेतु सभी बोर्डो के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित समस्त माध्यमिक विद्यालयों में "मिशन शक्ति" अभियान संचालित करने की कार्ययोजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-371/15-3-2020 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 (संलग्नक-1) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के लिए संचालित किए जा रहे "मिशन शक्ति" अभियान के अन्तर्गत प्रथम चरण में दिनांक 17 अक्टूबर, 2020 से 25 अक्टूबर, 2020 तक प्रतिदिन व्यापक प्रचार-प्रसार एवं द्वितीय चरण में माह नवम्बर, 2020 से अप्रैल, 2021 तक अभियान को जारी रखते हुए अधिकांश जनमानस को जागरूक करने के लिए एक-एक सप्ताह का विशेष अभियान प्रदेश में समस्त बोर्डो के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में संलग्न कार्ययोजना (संलग्नक-2) के अनुसार संचालित करायें।

उल्लेखनीय है कि "मिशन शक्ति" अभियान के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी दिनांक 18 अक्टूबर, 2020 सांय 04:00 बजे महिला एवं बालिका सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन विषय पर सभी बालिकाओं और अध्यापिकाओं को जूम वेबिनार में सम्बोधित करेंगे। अतः आपसे अपेक्षा है कि समस्त बोर्डो के माध्यमिक विद्यालयों की सभी बालिकाओं एवं अध्यापिकाओं को वेबिनार में जुड़ने के लिए लिंक https://us02web.zoom.us/j/82915649515 उपलब्ध करायें।

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वीडियो दूरदर्शन उत्तर प्रदेश चैनल पर प्रसारित किये जा रहे हैं एवं आवश्यकतानुसार पुनः उपयोगार्थ वीडियो माध्यमिक शिक्षा विभाग के यू-ट्यूब चैनल- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पर भी अपलोड किये जायेंगे। आत्मरक्षा प्रशिक्षण वीडियो प्रसारण की समय-सारणी इस आशय के साथ संलग्न (संलग्नक-3) कर प्रेषित है कि व्यापक प्रचार-प्रसार एवं विद्यालयों के माध्यम से सभी बालिकाओं को सूचित किया जाय।

जनपद स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन और अनुश्रवण हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम एवं द्वितीय को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है तथा मण्डल हेतु सम्बन्धित उप/संयुक्त शिक्षा निदेशक नोडल अधिकारी होंगे। नोडल अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा सतत अनुश्रवण किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रम का विवरण संकलित कर प्रतिदिन शिविर कार्यालय के ई-मेल में प्रेषित लिंक **https://1drv.ms/x/s!AhXXWnGPLx18iQxbK0rWyFCoPs-e?e=T0av2f** के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा एवं कार्यक्रम के फोटो (फोटो में जनपद/विद्यालय का नाम व तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो) संकलित करके एक पी0डी0एफ0 फाइल में शिविर कार्यालय, लखनऊ को ई-मेल **girlsempowermentweek2020@gmail.com** पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

उल्लेखनीय है कि **"मिशन शक्ति"** अभियान मा0 मुख्यमंत्री जी का प्राथमिकता कार्यक्रम है। अतः अभियान के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत ध्यान एवं समयबद्धता अपेक्षित है।

संलग्नकः-उक्तवत्।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(विनय कुमार पाण्डेय)
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उ0प्र0, लखनऊ।

पृ0सं0:शिविर/ 21144-21263 /2020-21 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2- विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3- महानिदेशक, एन0सी0सी0 निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि शासन के पत्र में उल्लिखित एन0सी0सी0 विंग से सम्बन्धित कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।
4- प्रादेशिक मुख्यायुक्त, उ0प्र0 भारत स्काउट एवं गाइड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि शासन के पत्र में उल्लिखित स्काउट-गाइड से सम्बन्धित कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।
5- राज्य समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सेवा योजना प्रकोष्ठ, विधान भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि शासन के पत्र में उल्लिखित राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।
6- अपर राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि आत्म-रक्षा वीडियो का डी0डी0यू0पी0 पर प्रसारण एवं विभाग के यू-ट्यूब चैनल पर अपलोड कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक/राजकीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
8- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(हस्ताक्षर)

(विनय कुमार पाण्डेय)
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned with CamScanner

संलग्नक-1

संख्या-371 / 15-3-2020

प्रेषक,

आराधना शुक्ला
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा0)
उ0प्र0,लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 15 अक्टूबर, 2020

विषयः— आगामी नवरात्र की शुभ तिथियों में विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं की सहभागिता एवं सुरक्षा हेतु प्रदेश के समस्त बोर्डों के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में "मिशन शक्ति" अभियान संचालित करने की कार्ययोजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-364 / 15-3-2020 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश सरकार ने आगामी नवरात्र की शुभ तिथियों में विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सहभागिता एवं सुरक्षा के लिये विशेष अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के संबंध में मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 11.10.2020 एवं दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को आयोजित बैठक में यह निर्देश प्राप्त हुए हैं कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए संचालित अभियान को शारदीय नवरात्र एवं वासन्तिक नवरात्र के मध्य निरन्तर जारी रखा जाये एवं बीच-बीच में एक-एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाये ताकि अधिकांश जनमानस को जागरूक किया जा सके।

इस विशेष अभियान को **"मिशन शक्ति"** के नाम से प्रदेश में संचालित समस्त माध्यमिक विद्यालयों में चलाया जाये। प्रथम चरण में इस अभियान का प्रतिदिन व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। द्वितीय चरण में "मिशन शक्ति" के क्रियान्वयन पर बल दिया जाये और बहुत बड़ी संख्या में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या को देखते हुए अभियान के सफल संचालन के लिए जनपद में कार्यरत शिक्षाधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी दी जाये।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **प्रथम चरण में दिनांक 17 अक्टूबर, 2020 से 25 अक्टूबर, 2020 तक** एवं **द्वितीय चरण** में **माह नवम्बर, 2020 से अप्रैल, 2021 तक** "मिशन शक्ति" अभियान प्रदेश में समस्त बोर्डों द्वारा संचालित सभी माध्यमिक विद्यालयों में संचालित किया जाये।

इस विशेष अभियान का उद्देश्य छात्र/छात्राओं/अध्यापिकाओं को सुरक्षित परिवेश की अनुभूति कराना, अध्ययन स्थल/कार्यस्थल पर शारीरिक/मानसिक एवं यौन उत्पीड़न से संरक्षण विषयक विधिक प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराना, विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को सक्षम बनाने हेतु आत्मरक्षा की तकनीक एवं सिद्धान्तों का प्रशिक्षण देना और शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा एवं संरक्षा मानदण्डों का मूल्यांकन/समीक्षा करके अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु परिसर को सुरक्षित एवं संवेदनशील बनाना है।

इस अभियान के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं एवं अध्यापिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण तथा शारीरिक/मानसिक एवं यौन उत्पीड़न सम्बन्धी घटनाओं के सम्बन्ध में विधिक

क्रमशः---2

Scanned with CamScanner

प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जाये। नेशनल कैडेट कोर, भारत स्काउट-गाइड एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र-छात्राओं और ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से अभियान के उद्देश्यों के प्रति आम जनमानस को भी जागरूक किया जाये।

उक्त के सम्बन्ध में **प्रथम** एवं द्वितीय चरण की कार्ययोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आपसे निम्नवत् कार्यवाही अपेक्षित है :-

प्रथम चरण की कार्ययोजना -

: **प्रथम दिवस (17 अक्टूबर, 2020)** -

i. समाज के सभी नागरिकों विशेष रूप से बालकों के मध्य बालिका की सुरक्षा एवं सम्मान की भावना को जागरूक करने और संवेदनशील बनाये जाने हेतु "बालिका सुरक्षा शपथ" (प्रारूप संलग्न) ग्रहण करायी जाये।

ii. प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में **"शक्ति मंच"** गठन कराया जाय। इस मंच का उद्देश्य बालिकाओं को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराना, उनमें नेतृत्व एवं सहयोग की क्षमता विकसित करना, किशोरावस्था की जिज्ञासाओं/शंकाओं के सन्दर्भ में परिचर्चा कराना और बच्चों एवं महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करना है।

समस्त अध्ययनरत बालिकाएं इस मंच की सदस्य होंगी तथा इसके संचालन हेतु आवश्यक सुविधाएं एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विद्यालय की एक महिला अध्यापिका को समन्वयक के रूप में नामित किया जायेगा।

मंच के समस्त सदस्यों में से ग्यारह सदस्यीय कार्यकारिणी समिति गठित की जाय जिसमें प्रत्येक कक्षा से कम से कम एक बालिका का प्रतिनिधित्व होगा। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव खुली बैठक में किया जाए। कार्यकारिणी के सदस्य आपस में सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष एवं एक सचिव का चयन करेंगे। समिति का कार्यकाल एक वर्ष के लिए होगा।

"शक्ति मंच" की प्रत्येक माह नियमित बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा, सृजनात्मक लेखन, डिबेट, चित्रकला, नाटक, गीत, कहानी आदि के माध्यम से विचार-विमर्श किया जायेगा-

- बाल एवं महिला अधिकारों पर चर्चा।
- बालिकाओं की शिक्षा का महत्व।
- बालिकाओं के हितों के प्रतिकूल समाज में प्रचलित कुरीतियां तथा निदानात्मक रणनीतियां।
- किशोरावस्था सम्बन्धी शंकाएं और जिज्ञासाएं।
- आत्म सुरक्षा के उपायों पर चर्चा।
- बाल अखबार/ कॉमिक का निर्माण।
- अध्यापक द्वारा बच्चों को अपनी शिकायतें लिखकर शिकायत पेटिका में डालने के लिए प्रेरित करना तथा माह के अंतिम शनिवार को एस०एम०सी० की एक महिला सदस्य के माध्यम से शिकायतों को पढ़कर उत्तर देना/ समाधान करना।
- बालिकाओं को विद्यालय में आ रही बाधाओं की चर्चा तथा उसके निवारण की योजना बनाना।
- बच्चों की सुरक्षा के लिए गठित हेल्प लाइंस व इसके प्रयोग की जानकारी देना।
- प्राकृतिक आपदा पर बच्चों से बातचीत करना व ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए मॉकड्रिल करना।

क्रमशः---3

Scanned with CamScanner

- अपने आस-पास की उन बालिकाओं की सूची तैयार करना जिनका नामांकन स्कूल में नहीं हुआ है और साथ ही उन कारणों की सूची बनाना जिनके कारण बालिकाएं विद्यालय नहीं आती है। ऐसी बालिकाओं का नामांकन कराने के लिए विद्यालय की मदद प्राप्त करना।
- बालकों में जेण्डर संवेदनशीलता विकसित करने के संबंध में चर्चा-परिचर्चा।

iii. कार्यस्थल/अध्ययन स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को प्रतिषेधित करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में **आन्तरिक परिवाद समिति** गठित कराने के निर्देश हैं (विशाखा गाइड लाइन के अनुसार)। अतएव यह सुनिश्चित करायें कि प्रत्येक विद्यालय में एक्टानुसार आन्तरिक परिवाद समिति क्रियाशील हो और "महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013" तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पाक्सो एक्ट) के प्रावधानों की बालिकाओं को जानकारी प्रदान करने के लिए विद्यालयों में परिचर्चा आयोजित करायी जाय।

विद्यालय आने वाले बालक-बालिकाओं/महिला अध्यापिकाओं के साथ परिसर में परिचर्चा की जाय। घर से अध्ययन करने वाले बालक-बालिकाओं के साथ ऑनलाइन परिचर्चा के लिए प्रत्येक विद्यालय में कक्षावार बने हुए व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप का प्रयोग किया जाये। इन परिचर्चाओं के लिए रिसोर्स पर्सन के रूप में विद्यालयों के शिक्षकों के साथ-साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म पर सत्र एवं जिला न्यायालय तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाय तथा यह भी प्रयास किया जाय कि रिसोर्स पर्सन यथासम्भव महिलाएं हों।

iv. किसी प्रकार की असुरक्षा, हिंसा व उत्पीड़न की दशा में आपातकालीन सहायता प्राप्त करने के लिए बालक-बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन यथा चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, महिला हेल्पलाइन-181 या 1090, पुलिस कन्ट्रोल रूम-100 या 112, एम्बुलेन्स-108, नजदीकी थाने का नम्बर इत्यादि की जानकारी भी प्रदान की जाय।

v. शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक शोषण और यौन उत्पीड़न घटनाओं की रोकथाम हेतु समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जाय।

2. द्वितीय, अष्टम व नवम दिवस (18, 24 एवं 25 अक्टूबर, 2020) -

i. इन दिवसों में विद्यालयों में अवकाश रहेगा, अतः नेशनल कैडेट कोर, भारत स्काउट-गाइड एवं राष्ट्रीय सेवा योजना की विद्यालयी शाखाओं/दलों तथा स्थानीय ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से नवरात्र के दौरान जगह-जगह बने पूजा स्थलों/पण्डालों पर स्टॉल लगवाये जायें।

ii. इन स्थलों पर आने वाली बालक-बालिकाओं एवं महिलाओं को गरिमामय जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों यथा-घरेलू हिंसा, बच्चों के साथ होने वाली हिंसा, यौन-हिंसा, बाल विवाह आदि, किसी प्रकार के उत्पीड़न से संरक्षण विषयक विभिन्न प्रावधानों यथा-पाक्सो एक्ट, 2012, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम-2005 और आकस्मिकता की दशा में आपातकालीन सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न हेल्पलाइन यथा-चाइल्ड हेल्पलाइन एवं महिला हेल्पलाइन इत्यादि के प्रति जागरूक कराया जाये।

3. तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम व सप्तम दिवस (19, 20, 21, 22 एवं 23 अक्टूबर, 2020) -

i. इन दिवसों में बालक-बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा विषयक विधिक प्रावधानों तथा सम्मान विषयक मुद्दों पर जागरूकता हेतु विशेषज्ञ महिला सदर्भदाताओं के माध्यम से 30 मिनट की परिचर्चा आयोजित करायी जाय। इन परिचर्चाओं के लिए विद्यालयों के शिक्षकों के साथ-साथ रिसोर्स पर्सन के रूप में ऑनलाइन प्लेटफार्म पर जिला एवं सत्र न्यायालय तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाय तथा यह भी प्रयास किया जाय कि रिसोर्स पर्सन यथासम्भव महिलाएं हों।

क्रमशः---4

Scanned with CamScanner

ii. इन दिवसो मे बालिकाओ को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश चैनल पर वीडियो प्रसारित कराये जाय तथा सर्व-सम्बन्धित को आवश्यकतानुसार पुनः उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के यू-ट्यूब चैनल- **उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग** पर भी अपलोड कराये जाये।

उक्त वीडियो तथा निर्देश सामग्री जिला विद्यालय निरीक्षकों को उपलब्ध कराकर विद्यालयों मे आने वाली बालिकाओं को कोविड-19 के दृष्टिगत भौतिक दूरी, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के अन्य मानको को सुनिश्चित कराते हुए शारीरिक शिक्षा शिक्षक/प्रशिक्षक से आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान कराया जाय।

आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु प्रसारित वीडियोज सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी है। अतः इसका सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफार्म पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय।

द्वितीय चरण की कार्ययोजना –

4. **माह नवम्बर, 2020 से अप्रैल, 2021 –**

बालक-बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए संचालित **"मिशन शक्ति"** अभियान के **द्वितीय चरण** मे **माह नवम्बर, 2020 से अप्रैल, 2021** तक निम्नवत कार्यक्रम संचालित किये जायें:-

i. प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह मे भौतिक दूरी तथा सुरक्षा के अन्य मानकों को सुनिश्चित कराते हुए पाँच दिवसीय एडवान्स्ड आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराने के लिए आत्मरक्षा वीडियो प्रसारित कराये जायें तथा इन वीडियोज को माध्यमिक शिक्षा विभाग के यू-ट्यूब चैनल- **उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग** पर भी अपलोड कराया जाये। इसी प्रकार उक्त अवधि मे विद्यालय आने वाली बालिकाओं को कोविड-19 के दृष्टिगत भौतिक दूरी, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के अन्य मानको को सुनिश्चित कराते हुए शारीरिक शिक्षा शिक्षक/प्रशिक्षक से आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान कराया जाये।

ii. प्रत्येक माह मे बालक-बालिकाओ एव महिलाओं की सुरक्षा विषयक विधिक प्रावधानों तथा सम्मान विषयक मुद्दों पर जागरूकता हेतु विशेषज्ञ महिला सन्दर्भदाताओं के माध्यम से विद्यालय मे अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के साथ ऑनलाइन/ऑफलाइन परिचर्चा आयोजित करायी जाये। उक्त के अतिरिक्त प्रतिमाह महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के किसी मुद्दे/प्रावधान पर ऑनलाइन निबंध/क्विज/पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन भी कराया जाये।

iii. किसी भी प्रकार के उत्पीडन या दुर्व्यवहार के नकारात्मक प्रभावों यथा अपराध-बोध, संकोच, एकाकीपन इत्यादि से उबरने, भावनाओ और प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने और विचारों को व्यक्त करने मे छात्र-छात्राओं को मदद प्रदान कराने के लिए विद्यालयों के माध्यम से काउन्सलिंग की व्यवस्था भी करायी जाय।

5. जनपद स्तर पर समस्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन और अनुश्रवण हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम/द्वितीय तथा मण्डल हेतु सम्बन्धित मण्डलीय उप/संयुक्त शिक्षा निदेशक नोडल अधिकारी होंगे। नोडल अधिकारी कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा सतत अनुश्रवण करते हुए दैनिक प्रगति की सूचना संयुक्त शिक्षा निदेशक (शिविर), माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

क्रमशः--5

Scanned with CamScanner

उल्लेखनीय है कि 'मिशन शक्ति' अभियान मा0 मुख्यमंत्री जी का प्राथमिकता कार्यक्रम है। अतः अभियान के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत ध्यान एवं समयबद्धता अपेक्षित है।

संलग्नक:-उक्तवत्।

भवदीया,

/

(आराधना शुक्ला)
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महानिदेशक, एन0सी0सी0 निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि एन0सी0सी0 विंग से सम्बन्धित कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
4- आयुक्त, भारत स्काउट एवं गाइड, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से कि स्काउट-गाइड से सम्बन्धित कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। ।
5- राज्य समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सेवा योजना प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। ।
6- संयुक्त शिक्षा निदेशक(शिविर), शिविर कार्यालय, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7- समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त शिक्षा निदेशक/समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक(प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(उदयभानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner

पत्रांक: शिविर/21144-21263/2020-21 दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 का संलग्नक-2

मिशन शक्ति : कार्ययोजना

उद्देश्य :

- बालक-बालिकाओं/अध्यापिकाओं को सुरक्षित परिवेश की अनुभूति कराना।
- बालिकाओं/अध्यापिकाओं को अध्ययन स्थल/कार्यस्थल पर शारीरिक/मानसिक एवं यौन उत्पीडन से संरक्षण विषयक विधिक प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराना।
- बालिकाओं/अध्यापिकाओं को विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को सक्षम बनाने हेतु आत्मरक्षा की तकनीक एवं सिद्धान्तों का प्रशिक्षण।
- शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु परिसर को सुरक्षित एवं संवेदनशील बनाने के लिए किये गये उपायों का स्वमूल्यांकन तथा समीक्षा।

आच्छादन :

- सभी बोर्डों के समस्त माध्यमिक विद्यालय।

प्रक्रिया :

- ऑनलाइन अध्ययनरत बालक-बालिकाओं को दूरदर्शन यू0पी0 चैनल एवं व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप के माध्यम से आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं जागरूकता।
- विद्यालय आने वाली बालक-बालिकाओं/अध्यापिकाओं को प्रार्थना सभा/क्रीडा स्थल पर उचित दूरी व अन्य मानकों का पालन करते हुए आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं जागरूकता।
- एन0सी0सी0, स्काउट-गाइड, एन0एस0एस0 एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से जनजागरूकता।

दिनांक	विषय व अवधि	कार्यक्रम
17 अक्टूबर, 2020	विधिक प्रावधानों की जानकारी एवं सुरक्षा-संरक्षा की स्थिति	➢ बालिकाओं को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराने, नेतृत्व एवं सहयोग की क्षमता विकास, किशोरावस्था की जिज्ञासाओं/शंकाओं के सन्दर्भ में परिचर्चा करने और बालिकाओं एवं महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में "शक्ति मंच" का गठन । ➢ समाज के सभी नागरिकों, विशेष रूप से बालकों के मध्य बालिका की सुरक्षा एवं सम्मान की भावना को जागरूक करने और संवेदनशील बनाये जाने हेतु "बालिका सुरक्षा शपथ" ग्रहण कराना (संलग्नक-2 क,ख,ग)। ➢ आन्तरिक शिकायत समिति (विशाखा गाइड लाइन) के उद्देश्यों एवम् कार्यकलापों के सम्बन्ध छात्र-छात्राओं और महिला अध्यापिकाओं को जानकारी (संलग्नक-2 घ)। ➢ आपातकालीन सहायता हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, महिला हेल्पलाइन-181 या 1090, पुलिस कन्ट्रोल रूम-100 या 112, एम्बुलेन्स-108, नजदीकी थाने के नम्बर की जानकारी (संलग्नक-2 ङ)।

Scanned with CamScanner

		➤ शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन (संलग्नक–2 च)। ➤ स्वच्छता एवं स्वास्थ्य प्रोटोकाल के मानकों का अनुपालन (संलग्नक–2 छ)।
18 अक्टूबर, 2020	सायं 04:00 बजे न्यूनतम 03 घण्टे	➤ महिला एवं बालिका सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलम्बन विषय पर जूम वेबिनार में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सांय 04:00 बजे सम्बोधन-प्रतिभागी सभी वार्डों के माध्यमिक विद्यालयों की बालिकाएं और अध्यापिकाएं। ➤ एन0सी0सी0, स्काउट–गाइड, एन0एस0एस0, स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से नवरात्र के दौरान जगह–जगह बने पूजा स्थलों/पण्डालों पर स्टॉल लगाना। ➤ महिलाओं एव बालिकाओं के मध्य घरेलू हिंसा, बच्चों के साथ होने वाली हिंसा, यौन–हिंसा, सेफ–अनसेफ टच आदि मुद्दों तथा पाक्सो एक्ट, चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर एवं महिला हेल्पलाइन नम्बर इत्यादि की ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से जानकारी (संलग्नक–2 ङ)।
19 अक्टूबर, 2020	विधिक अधिकारों/मुद्दों पर परिचर्चा (30 मिनट)। आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण (30 मिनट)।	➤ महिलाओं की सुरक्षा विषयक विधिक प्रावधानों तथा सम्मान विषयक मुद्दों पर जागरुकता हेतु विशेषज्ञ महिला सन्दर्भदाताओं के माध्यम से परिचर्चा (संलग्नक–2 ङ)। ➤ सूक्ष्म व्यायाम (5 मिनट), किक–पंच– ब्लाक(10 मिनट), हाथ की पकड को छुडाना एवम् काउण्टर अटैक करना (17 मिनट), पुनरावलोकन एवं अभ्यास कार्य (3 मिनट)। ➤ परिचर्चा एवं प्रशिक्षण ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम द्वारा।
20 अक्टूबर, 2020	विधिक अधिकारों/मुद्दों पर परिचर्चा (30 मिनट)। आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण (30 मिनट)।	➤ महिलाओं की सुरक्षा विषयक विधिक प्रावधानों तथा सम्मान विषयक मुद्दों पर जागरुकता हेतु विशेषज्ञ महिला सन्दर्भदाताओं के माध्यम से परिचर्चा। ➤ महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के किसी मुद्दे/प्रावधान पर ऑनलाइन निबंध/क्विज/पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन। ➤ बाल मनोविज्ञान के संबंध में समझ विकसित कराने में कार्यक्रम आयोजन। ➤ सूक्ष्म व्यायाम (5 मिनट), किक–पंच– ब्लाक(10 मिनट), कमर की पकड को छुडाना एवम् काउण्टर अटैक करना (17 मिनट), पुनरावलोकन एवं अभ्यास कार्य (3 मिनट)। ➤ परिचर्चा एवं प्रशिक्षण ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम द्वारा।

Scanned with CamScanner

21 अक्टूबर, 2020	विधिक अधिकारों / मुददों पर परिचर्चा (30 मिनट) । आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण (30 मिनट) ।	➢ महिलाओं की सुरक्षा विषयक विधिक प्रावधानों तथा सम्मान विषयक मुददों पर जागरूकता हेतु विशेषज्ञ महिला सन्दर्भदाताओं के माध्यम से परिचर्चा। ➢ सूक्ष्म व्यायाम (5 मिनट), किक–पंच– ब्लाक(10 मिनट), गर्दन की पकड को छुड़ाना एवम् काउण्टर अटैक करना (17 मिनट), पुनरावलोकन एवं अभ्यास कार्य (3 मिनट)। ➢ परिचर्चा एवं प्रशिक्षण ऑनलाइन / ऑफलाइन माध्यम द्वारा।
22 अक्टूबर, 2020	विधिक अधिकारों / मुददों पर परिचर्चा (30 मिनट) । आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण (30 मिनट) ।	➢ महिलाओं की सुरक्षा विषयक विधिक प्रावधानों तथा सम्मान विषयक मुददों पर जागरूकता हेतु विशेषज्ञ महिला सन्दर्भदाताओं के माध्यम से परिचर्चा। ➢ सूक्ष्म व्यायाम (5 मिनट), किक–पंच– ब्लाक(10 मिनट), घातक हथियारों यथा चाकू इत्यादि से बचाव करना (17 मिनट), पुनरावलोकन एवं अभ्यास कार्य (3 मिनट)। ➢ परिचर्चा एवं प्रशिक्षण ऑनलाइन / ऑफलाइन माध्यम द्वारा।
23 अक्टूबर, 2020	विधिक अधिकारों / मुददों पर परिचर्चा (30 मिनट) । आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण (30 मिनट) ।	➢ महिलाओं की सुरक्षा विषयक विधिक प्रावधानों तथा सम्मान विषयक मुददों पर जागरूकता हेतु विशेषज्ञ महिला सन्दर्भदाताओं के माध्यम से परिचर्चा। ➢ सूक्ष्म व्यायाम (5 मिनट), किक–पंच– ब्लाक (10 मिनट), रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुओं को हथियार बनाना (17 मिनट), पुनरावलोकन एवं अभ्यास कार्य (3 मिनट)। ➢ परिचर्चा एवं प्रशिक्षण ऑनलाइन / ऑफलाइन माध्यम द्वारा।
24 अक्टूबर, 2020	न्यूनतम 03 घण्टे	➢ एन0सी0सी0, स्काउट–गाइड, एन0एस0एस0, स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से नवरात्र के दौरान जगह–जगह बने पूजा स्थलों / पण्डालों पर स्टॉल लगाना। ➢ महिलाओं एवं बालिकाओं के मध्य घरेलू हिंसा, बच्चों के साथ होने वाली हिंसा, यौन–हिंसा, सेफ–अनसेफ टच आदि मुददों तथा पाक्सो एक्ट, चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर एवं महिला हेल्पलाइन नम्बर इत्यादि की ऑनलाइन / ऑफलाइन माध्यम से जानकारी **(संलग्नक–2 ड)**।
25 अक्टूबर, 2020	न्यूनतम 03 घण्टे	➢ एन0सी0सी0, स्काउट–गाइड, एन0एस0एस0, स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से नवरात्र के दौरान जगह–जगह बने पूजा स्थलों / पण्डालों पर स्टॉल लगाना। ➢ महिलाओं एवं बालिकाओं के मध्य घरेलू हिंसा, बच्चों के साथ होने वाली हिंसा, यौन–हिंसा, सेफ–अनसेफ टच आदि मुददों तथा पाक्सो एक्ट, चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर

Scanned with CamScanner

		एवं महिला हेल्पलाइन नम्बर इत्यादि की ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से जानकारी **(संलग्नक–2 ड)**।
नवम्बर, 2020 से अप्रैल 2021 (प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में)	विधिक अधिकारों/ मुददों पर परिचर्चा और प्रतियोगिता (30 मिनट) । आत्मरक्षा हेतु एडवान्स्ड प्रशिक्षण (30 मिनट)	➢ महिलाओं की सुरक्षा विषयक विधिक प्रावधानों तथा सम्मान विषयक मुददों पर जागरूकता हेतु विशेषज्ञ महिला सन्दर्भदाताओं के माध्यम से परिचर्चा। ➢ प्रतिमाह महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के किसी मुद्दे/प्राविधान पर पर ऑनलाइन निबंध/ क्विज/पोस्टर प्रतियोगिता। ➢ प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में। पॉच दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम। 30 मिनट प्रतिदिन। ➢ परिचर्चा एवं प्रशिक्षण ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम द्वारा।

Scanned with CamScanner

संख्या–371 / 15–3–2020

प्रेषक,

आराधना शुक्ला
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा0),
उ0प्र0,लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 15 अक्टूबर, 2020

विषयः– आगामी नवरात्र की शुभ तिथियों में विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं की सहभागिता एवं सुरक्षा हेतु प्रदेश के समस्त बोर्डों के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में "मिशन शक्ति" अभियान संचालित करने की कार्ययोजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–364 / 15–3–2020 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश सरकार ने आगामी नवरात्र की शुभ तिथियों में विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सहभागिता एवं सुरक्षा के लिये विशेष अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के संबंध में मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 11.10.2020 एवं दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को आयोजित बैठक में यह निर्देश प्राप्त हुए हैं कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए संचालित अभियान को शारदीय नवरात्र एवं बासन्तिक नवरात्र के मध्य निरन्तर जारी रखा जाये एवं बीच–बीच में एक–एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाये ताकि अधिकांश जनमानस को जागरूक किया जा सके।

इस विशेष अभियान को **"मिशन शक्ति"** के नाम से प्रदेश में संचालित समस्त माध्यमिक विद्यालयों में चलाया जाये। प्रथम चरण में इस अभियान का प्रतिदिन व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। द्वितीय चरण में "मिशन शक्ति" के क्रियान्वयन पर बल दिया जाये और बहुत बड़ी संख्या में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की संख्या को देखते हुए अभियान के सफल संचालन के लिए जनपद में कार्यरत शिक्षाधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी दी जाये।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **प्रथम चरण में दिनांक 17 अक्टूबर, 2020 से 25 अक्टूबर, 2020 तक** एवं **द्वितीय चरण में माह नवम्बर, 2020 से अप्रैल, 2021** तक "मिशन शक्ति" अभियान प्रदेश में समस्त बोर्डो द्वारा संचालित सभी माध्यमिक विद्यालयों में संचालित किया जाये।

इस विशेष अभियान का उद्देश्य छात्र / छात्राओं / अध्यापिकाओं को सुरक्षित परिवेश की अनुभूति कराना, अध्ययन स्थल / कार्यस्थल पर शारीरिक / मानसिक एवं यौन उत्पीड़न से संरक्षण विषयक विधिक प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराना, विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को सक्षम बनाने हेतु आत्मरक्षा की तकनीक एवं सिद्धान्तों का प्रशिक्षण देना और शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा एवं संरक्षा मानदण्डों का मूल्यांकन / समीक्षा करके अध्ययनरत छात्र / छात्राओं हेतु परिसर को सुरक्षित एवं संवेदनशील बनाना है।

इस अभियान के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं एवं अध्यापिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण तथा शारीरिक / मानसिक एवं यौन उत्पीड़न सम्बन्धी घटनाओं के सम्बन्ध में विधिक

क्रमशः––2

प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जाये। नेशनल कैडेट कोर, भारत स्काउट–गाइड एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र–छात्राओं और ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से अभियान के उद्देश्यों के प्रति आम जनमानस को भी जागरूक किया जाये।

उक्त के सम्बन्ध में **प्रथम एवं द्वितीय चरण** की कार्ययोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आपसे निम्नवत् कार्यवाही अपेक्षित है :–

प्रथम चरण की कार्ययोजना –

1. **प्रथम दिवस (17 अक्टूबर, 2020)** –

   i. समाज के सभी नागरिकों, विशेष रूप से बालकों के मध्य बालिका की सुरक्षा एवं सम्मान की भावना को जागरूक करने और संवेदनशील बनाये जाने हेतु "बालिका सुरक्षा शपथ" **(प्रारूप संलग्न)** ग्रहण करायी जाये।

   ii. प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में "**शक्ति मंच**" गठन कराया जाय। इस मंच का उद्देश्य बालिकाओं को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराना, उनमें नेतृत्व एवं सहयोग की क्षमता विकसित करना, किशोरावस्था की जिज्ञासाओं/शंकाओं के सन्दर्भ में परिचर्चा कराना और बच्चों एवं महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करना है।

   समस्त अध्ययनरत बालिकाएं इस मंच की सदस्य होंगी तथा इसके संचालन हेतु आवश्यक सुविधाएं एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विद्यालय की एक महिला अध्यापिका को समन्वयक के रूप में नामित किया जायेगा।

   मंच के समस्त सदस्यों में से ग्यारह सदस्यीय कार्यकारिणी समिति गठित की जाय जिसमें प्रत्येक कक्षा से कम से कम एक बालिका का प्रतिनिधित्व होगा। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव खुली बैठक में किया जाए। कार्यकारिणी के सदस्य आपस में सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष एवं एक सचिव का चयन करेंगे। समिति का कार्यकाल एक वर्ष के लिए होगा।

   "शक्ति मंच" की प्रत्येक माह नियमित बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा, सृजनात्मक लेखन, डिबेट, चित्रकला, नाटक, गीत कहानी आदि के माध्यम से विचार–विमर्श किया जायेगा–

   - बाल एवं महिला अधिकारों पर चर्चा।
   - बालिकाओं की शिक्षा का महत्व।
   - बालिकाओं के हितों के प्रतिकूल समाज में प्रचलित कुरीतियां तथा निदानात्मक रणनीतियां।
   - किशोरावस्था संबंधी शंकाएं और जिज्ञासाएं।
   - आत्म सुरक्षा के उपायों पर चर्चा।
   - बाल अखबारों/ कॉमिक का निर्माण।
   - अध्यापक द्वारा बच्चों को अपनी शिकायतें लिखकर शिकायत पेटिका में डालने के लिए प्रेरित करना तथा माह के अंतिम शनिवार को एस0एम0सी0 को एक महिला सदस्य के माध्यम से षिकायतों को पढ़कर उत्तर देना/ समाधान करना।
   - बालिकाओं को विद्यालयों में आ रही बाधाओं की चर्चा तथा उसके निवारण की योजना बनाना।
   - बच्चों की सुरक्षा के लिए गठित हेल्प लाइंस व इसके प्रयोग की जानकारी देना।
   - प्राकृतिक आपदा पर बच्चों से बातचीत करना व ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए मॉकड्रिल करना।

क्रमशः––3

- अपने आस–पास की उन बालिकाओं की सूची तैयार करना जिनका नामांकन स्कूल में नही हुआ है और साथ ही उन कारणों की सूची बनाना जिनके कारण बालिकाएं विद्यालय नहीं आती है। ऐसी बालिकाओं का नामांकन कराने के लिए विद्यालय की मदद प्राप्त करना।
- बालकों में जेण्डर संवेदनशीलता विकसित करने के संबंध में चर्चा–परिचर्चा ।

iii. कार्यस्थल/अध्ययन स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को प्रतिषेधित करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में **आन्तरिक परिवाद समिति** गठित कराने के निर्देश हैं (विशाखा गाइड लाइन के अनुसार)। अतएव यह सुनिश्चित करायें कि प्रत्येक विद्यालय में उक्तानुसार आन्तरिक परिवाद समिति क्रियाशील हो और "महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013" तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पाक्सो एक्ट) के प्रावधानों की बालिकाओं को जानकारी प्रदान करने के लिए विद्यालयों में परिचर्चा आयोजित करायी जाय।

विद्यालय आने वाले बालक–बालिकाओं/महिला अध्यापिकाओं के साथ परिसर में परिचर्चा की जाये। घर से अध्ययन करने वाले बालक–बालिकाओं के साथ ऑनलाइन परिचर्चा के लिए प्रत्येक विद्यालय में कक्षावार बने हुए व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप का प्रयोग किया जाये। इन परिचर्चाओं के लिए रिसोर्स पर्सन के रूप में विद्यालयों के शिक्षकों के साथ–साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म पर सत्र एवं जिला न्यायालय तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाय तथा यह भी प्रयास किया जाय कि रिसोर्स पर्सन यथासम्भव् महिलाएं हो।

iv. किसी प्रकार की असुरक्षा, हिंसा व उत्पीड़न की दशा में आपातकालीन सहायता प्राप्त करने के लिए बालक–बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन यथा चाइल्ड हेल्पलाइन–1098, महिला हेल्पलाइन–181 या 1090, पुलिस कन्ट्रोल रूम–100 या 112, एम्बुलेन्स–108, नजदीकी थाने का नम्बर इत्यादि की जानकारी भी प्रदान की जाय।

v. शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत् बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक शोषण और यौन उत्पीड़न घटनाओं की रोकथाम हेतु समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन कराया जाय।

2. **द्वितीय, अष्टम व नवम दिवस (18, 24 एवं 25 अक्टूबर, 2020) –**

i. इन दिवसों में विद्यालयों में अवकाश रहेगा, अतः नेशनल कैडेट कोर, भारत स्काउट–गाइड एवं राष्ट्रीय सेवा योजना की विद्यालयी शाखाओं/दलों तथा स्थानीय ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से नवरात्र के दौरान जगह–जगह बने पूजा स्थलों/पण्डालों पर स्टॉल लगवाये जायें।

ii. इन स्थलों पर आने वाली बालक–बालिकाओं एवं महिलाओं को गरिमामय जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों यथा–घरेलू हिंसा, बच्चों के साथ होने वाली हिंसा, यौन–हिंसा, बाल विवाह आदि, किसी प्रकार के उत्पीड़न से संरक्षण विषयक विभिन्न प्रावधानों यथा–पाक्सो एक्ट, 2012, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम–2005 और आकस्मिकता की दशा में आपातकालीन सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न हेल्पलाइन यथा–चाइल्ड हेल्पलाइन एवं महिला हेल्पलाइन इत्यादि के प्रति जागरूक कराया जाये।

3. **तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम व सप्तम दिवस (19, 20, 21, 22 एवं 23 अक्टूबर, 2020) –**

i. इन दिवसों में बालक–बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा विषयक विधिक प्रावधानों तथा सम्मान विषयक मुद्दों पर जागरूकता हेतु विशेषज्ञ महिला संदर्भदाताओं के माध्यम से 30 मिनट की परिचर्चा आयोजित करायी जाय। इन परिचर्चाओं के लिए विद्यालयों के शिक्षकों के साथ–साथ रिसोर्स पर्सन के रूप में ऑनलाइन प्लेटफार्म पर जिला एवं सत्र न्यायालय तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाय तथा यह भी प्रयास किया जाय कि रिसोर्स पर्सन यथासम्भव् महिलाएं हो।

क्रमशः—4

ii. इन दिवसों में बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश चैनल पर वीडियो प्रसारित कराये जाय तथा सर्व-सम्बन्धित को आवश्यकतानुसार पुनः उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के यू-ट्यूब चैनल- **उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग** पर भी अपलोड कराये जाये।

उक्त वीडियो तथा निर्देश सामग्री जिला विद्यालय निरीक्षकों को उपलब्ध कराकर विद्यालयों में आने वाली बालिकाओं को कोविड-19 के दृष्टिगत भौतिक दूरी, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के अन्य मानकों को सुनिश्चित कराते हुए शारीरिक शिक्षा शिक्षक/प्रशिक्षक से आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान कराया जाय।

आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु प्रसारित वीडियोज सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी हैं। अतः इसका सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफार्म पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय।

<u>द्वितीय चरण की कार्ययोजना</u> -

4. **माह नवम्बर, 2020 से अप्रैल, 2021** -

बालक-बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए संचालित **"मिशन शक्ति"** अभियान के **द्वितीय चरण** में **माह नवम्बर, 2020 से अप्रैल, 2021 तक** निम्नवत कार्यक्रम संचालित किये जायें:-

i. प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में भौतिक दूरी तथा सुरक्षा के अन्य मानकों को सुनिश्चित कराते हुए पाँच दिवसीय एडवांस्ड आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराने के लिए आत्मरक्षा वीडियो प्रसारित कराये जायें तथा इन वीडियोज को माध्यमिक शिक्षा विभाग के यू-ट्यूब चैनल- **उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग** पर भी अपलोड कराया जाये। इसी प्रकार उक्त अवधि में विद्यालय आने वाली बालिकाओं को कोविड-19 के दृष्टिगत भौतिक दूरी, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के अन्य मानकों को सुनिश्चित कराते हुए शारीरिक शिक्षा शिक्षक/प्रशिक्षक से आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान कराया जाये।

ii. प्रत्येक माह में बालक-बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा विषयक विधिक प्रावधानों तथा सम्मान विषयक मुद्दों पर जागरूकता हेतु विशेषज्ञ महिला सन्दर्भदाताओं के माध्यम से विद्यालय में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के साथ ऑनलाइन/ऑफलाइन परिचर्चा आयोजित करायी जाये। उक्त के अतिरिक्त प्रतिमाह महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के किसी मुद्दे/प्रावधान पर ऑनलाइन निबंध/क्विज/पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन भी कराया जाये।

iii. किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या दुर्व्यवहार के नकारात्मक प्रभावों यथा अपराध-बोध, संकोच, एकाकीपन इत्यादि से उबरने, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने और विचारों को व्यक्त करने में छात्र-छात्राओं को मदद प्रदान कराने के लिए विद्यालयों के माध्यम से काउन्सलिंग की व्यवस्था भी करायी जाय।

5. जनपद स्तर पर समस्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन और अनुश्रवण हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम/द्वितीय तथा मण्डल हेतु सम्बन्धित मण्डलीय उप/संयुक्त शिक्षा निदेशक नोडल अधिकारी होंगे। नोडल अधिकारी कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा सतत अनुश्रवण करते हुए दैनिक प्रगति की सूचना संयुक्त शिक्षा निदेशक (शिविर), माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

क्रमशः---5

उल्लेखनीय है कि **"मिशन शक्ति"** अभियान मा0 मुख्यमंत्री जी का प्राथमिकता कार्यक्रम है। अतः अभियान के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत ध्यान एवं समयबद्धता अपेक्षित है।

संलग्नकः–उक्तवत् ।

भवदीया,

/

(आराधना शुक्ला)
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– महानिदेशक, एन0सी0सी0 निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि एन0सी0सी0 विंग से सम्बन्धित कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

4– आयुक्त, भारत स्काउट एवं गाइड, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से कि स्काउट–गाइड से सम्बन्धित कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। ।

5– राज्य समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सेवा योजना प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। ।

6– संयुक्त शिक्षा निदेशक(शिविर), शिविर कार्यालय, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7– समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त शिक्षा निदेशक/समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक(प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(उदयभानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

शारदीय नवरात्र, 2020 - बासन्तिक नवरात्र, 2021

मिशन शक्ति

नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

नारी सम्मान व सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम

जागरुकता अभियान में प्रतिभाग करने वाले समूह

पंचायती राज विभाग
- ग्राम पंचायत प्रधान

महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग
- आंगनबाड़ी वर्कर
- ग्राम बाल संरक्षण समिति
- चाइल्ड लाइन

स्वास्थ्य विभाग
- ए.एन.एम.
- आशा वर्कर

कृषि विभाग /ग्रामीण विकास
- कृषक संघ
- कृषि विकास अधिकारी

दुग्धशाला विकास विभाग
- दुग्ध सहकारी संघ

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग
- चीनी सहकारी समिति

पशु पालन विभाग
- पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता

परिवहन विभाग
- परिवहन निगम के चालक व परिचालक
- ओला/उबर
- ऑटो–टैम्पो चालक
- ट्रक चालक

उत्तर प्रदेश पुलिस
- पुलिस
- यूपी 112 पीआरवी
- जीआरपी

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

जागरुकता अभियान में प्रतिभाग करने वाले समूह

श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश
- श्रमिक

शहरी विकास विभाग
- निकाय
- स्लम

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश
- व्यापारी संघ

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
- सेल्फ हैल्प ग्रुप

स्वयं सेवी संगठन

बेसिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा / उच्च शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा विभाग
- अध्यापक
- प्रधानाध्यापक
- छात्र छात्राऐं

संस्कृति विभाग
- नुक्कड़ नाटक

रेलवे / मैट्रो / आर0पी0एफ0
- रेलवे यात्री

अभियोजन / राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
- अभियोजक

महिलाओं एवं बच्चो के सशक्तिकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प

- 180 दिन
- 24 विभाग
- 75 जनपद
- 822 ब्लॉक
- 59000 पंचायत
- 630 शहरी निकाय
- 1535 थाना

अभियान के दौरान मुख्य कार्य

- लैंगिक आधारित संवेदीकरण कार्यक्रम
- कॉरपोरेट एक्टिविटी
- दुर्गा पूजा पंडालों में कार्यक्रम
- वेबिनार
- ध्वनि संदेश
- थानों पर कार्यक्रम
- आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण
- साक्षात्कार
- ग्रामीण स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम
- कार्यशाला
- प्रशिक्षण
- नुक्कड़ नाटक

पूजा-पंडालों पर गतिविधियां

- उद्घोषणा
- पंडालों के आस-पास ड्रोन का प्रयोग
- लघु फिल्मों का प्रदर्शन

पूजा-पंडालों पर गतिविधियां

महिला सुरक्षा पर आधारित कार्यक्रम

रामलीला में महिला सुरक्षा पर आधारित कार्यक्रम

विशेष गतिविधियां

पॉक्सो एवं महिला अपराध से सम्बन्धित अपराधियों को मा. न्यायालय द्वारा दण्ड दिलाने का विशेष प्रयास

दशहरा के दिन दुराचारियों के विरूद्ध अभियान

अभियान के प्रभाव

- प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षित परिवेश की अनुभूति कराना
- जन–जागरूकता पैदा करना
- दुराचारियों की पहचान उजागर करना
- आत्मसुरक्षा की कला विकसित करना

जन् जागरण के लिए मॉड्यूलर दृष्टिकोण

24 करोड़

कार्ययोजना

शारदीय नवरात्र, 2020 - वासन्तिक नवरात्र, 2021

थीम –उदघाटन समारोहः मेगा इवेंन्ट्स अक्टूबर, 2020

17 से 25
अक्टूबर, 2020

शारदीय नवरात्र

समस्त विभाग

थीम – बच्चो से सम्बन्धित अभियान नवम्बर, 2020

20 नवम्बर से
26 नवम्बर, 2020

विश्व बाल दिवस

बेसिक, माध्यमिक
शिक्षा विभाग

थीम –मानव तस्करी के विरुद्ध अभियान (महिला एवं बच्चों की तस्करी एवं बलपूर्वक भिक्षा वृती को राकने हेतु

दिसम्बर, 2020

10 दिसम्बर से
16 दिसम्बर, 2020

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस

पुलिस (नोडल),
श्रम, महिला एवं
बाल कल्याण विभाग

थीम – युवाओं को प्रशिक्षित करने का अभियान

जनवरी, 2021

24 जनवरी से
31 जनवरी, 2021

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस

माध्यमिक, उच्च,
तकनीकी, स्वास्थ्य विभाग

थीम –सामाजिक कुरितियों के विरुद्ध अभियान

फरवरी, 2021

11 फरवरी से
18 फरवरी, 2021

अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस

महिला, संस्कृति,
स्वास्थ्य, ग्राम विकास,
किसान, श्रम विभाग,

थीम–सुरक्षित जच्चा –बच्चा ,सुरक्षित घर, सुरक्षित यात्रा मार्च, 2021

08 मार्च से
15 मार्च , 2021

अंतर्राष्ट्रीय महिला
दिवस

पुलिस, स्वास्थ्य विभाग
परिवहन विभाग, महिला एवं
बाल कल्याण विभाग

थीम – समापन समारोह मेगा इवेन्ट्स अप्रैल, 2021

13 अप्रैल से
22 अप्रैल, 2021

बासन्तिक
नवरात्र

समस्त विभाग

मुख्य कार्यक्रम (प्रथम चरण)

17 से 25 अक्टूबर, 2020

पहला दिन : जागरुकता कार्यक्रम का शुभारम्भ—17 अक्टूबर

1. मिशन शक्ति का किक स्टार्ट
   a) लोगो का अनावरण
   a) एलईडी वैन का फ्लैग ऑफ
2. WCPO के लोगो अनावरण
3. सेफ सिटी परियोजना
   a) डाटा एनालिटिक्स सेन्टर
   b) साइबर फोरेंसिक
   c) 112 और 1090 एकीकृत सेवा का अनावरण
   d) पिंक बूथ लखनऊ का अनावरण
   e) सेफ सिटी गैलरी का अनावरण
   f) पिंक पट्रोल का फ्लैग ऑफ
4. 1090
   a) फैमली काउंसलिंग का अनावरण
   b) क्रेच का अनावरण
   c) ऑपरेशन शक्ति कार्यक्रम का शुभारम्भ

- विभाग
- पुलिस विभाग
- सभी भाग लेने वाले विभाग

दूसरा दिन : 18 अक्टूबर

ग्राम प्रधान, शहरी स्थानीय निकाय, किसान और मजदूर

विषय
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लैंगिक संवेदीकरण, महिला और बाल सुरक्षा हेतु संवेदनशीलता लाना
- लैंगिक हिंसा की रोकथाम
- माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी ग्राम प्रधानों/शहरी निकायों को पत्र

प्रतिभागी
- ग्राम प्रधान और शहरी स्थानीय निकाय
- शहरी मलिन बस्ती के निवासी
- किसान और श्रमिक

विभाग
- पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग
- कृषि विभाग और श्रम विभाग

तीसरा दिन: 19 अक्टूबर

3—ए

विषय
- शक्ति परी
- लैंगिक समानता
- लैंगिक हिंसा की रोकथाम
- पीड़ित को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाना

प्रतिभागी
- आंगनबाड़ी, आशा और एएनएम कार्यकत्री

विभाग
- स्वास्थ्य विभाग
- बाल विकास एवं पुष्टाहार

चौथा दिन : 20 अक्टूबर

शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक

विषय

- विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा
- छात्रों और अध्यापकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम
- बालमनोविज्ञान के सम्बन्ध में समझ विकसित करना

प्रतिभागी

- अध्यापक एवं छात्र–छात्राएं

विभाग

- बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग

पांचवां दिन : 21 अक्टूबर

किशोर एवं युवा

विषय

- साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना
- लैंगिक हिंसा की रोकथाम

प्रतिभागी

- एनएसएस, भारत स्काउट एवं गाइड, एनसीसी, युवा मण्डल दल और स्कूल व कॉलेज के छात्र–छात्राएँ

विभाग

- उच्च शिक्षा विभाग
- युवा कल्याण विभाग
- महिला कल्याण विभाग

छठवां दिन : 22 अक्टूबर

यात्रा के दौरान सुरक्षा

विषय

- महिला यात्रियों के प्रति अच्छा व्यवहार करना
- यात्रा के दौरान महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा

प्रतिभागी

- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, ओला, उबर, ऑटो और टैम्पों के चालक व परिचालक

लीड एजेन्सी/विभाग

- परिवहन विभाग

सातवां दिन : 23 अक्टूबर

कारपोरेट हाउस, एस.एम.ई. एसोसिएशन एवं व्यावसायिक संस्थान

विषय
- कार्य स्थलों पर उत्पीड़न की रोकथाम।
- लैंगिक समानता और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा

प्रतिभागी
- व्यापारिक संस्थान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग संगठन एवं कारपोरेट्स

लीड एजेन्सी/विभाग
- औद्योगिक विभाग
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, सी.आई.आई., फिक्की

आठवां दिन : 24 अक्टूबर

उत्तर प्रदेश पुलिस का मानवीय चेहरा

विषय
- कानूनों के प्रति जागरूकता
- मित्र पुलिस

प्रतिभागी
- आम जनमानस
- पुलिस

विभाग
- पुलिस विभाग

नवां दिन : 25 अक्टूबर

नई पहल

- पुलिस थानों पर हेल्प डेस्क का शुभारम्भ

विभाग
- पुलिस विभाग

मीडिया प्लान

होर्डिंग

- 75 जनपदों के मुख्यालयों पर
- कुल 340 होर्डिंग
- एयरपोर्ट, डी.एम. एवं एस.एस.पी. कार्यालय बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर

एल.ई.डी. बिलबोर्ड

- डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड
- लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद एवं आगरा जनपदों में 1–1 डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड

एल.ई.डी. वैन

लघु फिल्मों का प्रदर्शन

प्रदेश में 75 से अधिक एल.ई.डी. वैन द्वारा जागरूकता

समाचार पत्रों में विज्ञापन

- लेख
- साक्षात्कार
- अच्छे कार्यों का उल्लेख

हिन्दी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में

प्रमुख समाचार पत्रों में

एफ.एम. रेडियो

रेडियो जिंगल्स एवं विज्ञापन

अपकमिंग इवेन्ट्स एवं आर.जे. टॉक्स

लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, नोएडा एवं गाजियाबाद में

बस

संपूर्ण बस ब्रांडिंग एवं
बस के अन्दर स्टीकर लगाना

परिवहन विभाग
की अन्तर्जनपदीय बसें

समस्त बस

रेलवे

उद्घोषणा

ट्रेन के डिब्बों में
स्टीकर लगाना

लघु फिल्मों का
प्रदर्शन

न्यूज चैनलों में विज्ञापन

अधिक लोगों तक
पहुंचने के लिए

मुख्य समाचार
चैनल में विज्ञापन

विज्ञापन का समय
15 सेकेण्ड

सोशल मीडिया

कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण

युवाओं से सीधा संवाद

समाज को प्रभावित करने वाली सामग्री साझा करना

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन
शारदीय नवरात्र, 2020 – बासन्तिक नवरात्र, 2021
नारी एक रूप अनेक
हेल्पलाइन
1090 वीमेन पॉवर लाइन
181 महिला हेल्पलाइन
108 एम्बुलेंस सेवा
1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
112 पुलिस आपातकालीन सेवा
1098 चाइल्ड लाइन
102 स्वास्थ्य सेवा
दो गज़ की दूरी मास्क है जरूरी
1800-180-5145

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन
शारदीय नवरात्र, 2020 – बासन्तिक नवरात्र, 2021
नारी शक्ति अभिमान हमारा
तुम जगत की हो मुख्य धारा
हेल्पलाइन
1090 वीमेन पॉवर लाइन
181 महिला हेल्पलाइन
108 एम्बुलेंस सेवा
1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
112 पुलिस आपातकालीन सेवा
1098 चाइल्ड लाइन
102 स्वास्थ्य सेवा
दो गज़ की दूरी मास्क है जरूरी
1800-180-5145

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन
शारदीय नवरात्र, 2020 – बासन्तिक नवरात्र, 2021
शान हो, सम्मान हो
अभिमान हो
हेल्पलाइन
1090 वीमेन पॉवर लाइन
181 महिला हेल्पलाइन
108 एम्बुलेंस सेवा
1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
112 पुलिस आपातकालीन सेवा
1098 चाइल्ड लाइन
102 स्वास्थ्य सेवा
दो गज़ की दूरी मास्क है जरूरी
1800-180-5145

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन
शारदीय नवरात्र, 2020 – बासन्तिक नवरात्र, 2021
"महिला सुरक्षा, गरिमा और सशक्तिकरण को जनांदोलन बनाने की आवश्यकता है। 'मिशन शक्ति' इसका आधार बनेगा। सशक्त स्त्री, समृद्ध समाज का आधार है।"
– योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
हेल्पलाइन
1800-180-5145
दो गज़ की दूरी मास्क है जरूरी

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन
शारदीय नवरात्र, 2020 – बासन्तिक नवरात्र, 2021
"महिला सुरक्षा, गरिमा और सशक्तिकरण को जनांदोलन बनाने की आवश्यकता है। 'मिशन शक्ति' इसका आधार बनेगा। सशक्त स्त्री, समृद्ध समाज का आधार है।"
– योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
हेल्पलाइन
1800-180-5145
दो गज़ की दूरी मास्क है जरूरी

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन
शारदीय नवरात्र, 2020 – बासन्तिक नवरात्र, 2021
1090
181
1076
112
1098
102
108
दो गज़ की दूरी
मास्क है जरूरी
हेल्पलाइनः
1800-180-5145

मिशन
शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन
शारदीय नवरात्र, 2020 – बासन्तिक नवरात्र, 2021
1090 वीमेन पॉवर लाइन
181 महिला हेल्पलाइन
1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
112 पुलिस आपातकालीन सेवा
1098 चाइल्ड लाइन
102 स्वास्थ्य सेवा
108 एम्बुलेंस सेवा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

धन्यवाद